

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

जनपद-मीरजापुर के कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत वन भूमि से आच्छादित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 34.902 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ ROAD/150065/2021 अपलोड किया गया है। कैमूर वन जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम कुशियरा एवं हलिया, तहसील-लालगंज, जिला-मीरजापुर में उ०प्र० शासन के पत्रांक-VIP/23/14-2-2019-190G/2018 दिनांक- 28-06-2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी, लालगंज, मीरजापुर के पत्र संख्या-1042/एस०टी०- गैर वन भूमि दिनांक- 08.01.2024 द्वारा कुल 29.410 हे० गैर वन भूमि चिन्हित की गयी। जिसका अभिलेखीय एवं मौके का परीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया रेंज द्वारा किया गया। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित गैर भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

रेंज का नाम	ग्राम	गाटा	क्षेत्रफल हे०
हलिया रेंज	कुशियरा	2150कमि०	5.9110 हे०
हलिया रेंज	कुशियरा	62मि०	5.464 हे०
हलिया रेंज	कुशियरा	63मि०	3.035 हे०
हलिया रेंज	हलिया	239मि०	15.000 हे०
		योग-	29.410 हे०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त गैर वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, महुआ, कठसागौन, सागौन, आँवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है।


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर


अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लौ०नि०वि०
मीरजापुर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद-मीरजापुर के कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत वन भूमि से आच्छादित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 34.902 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/150065/2021 अपलोड किया गया है। मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज स्थित ग्राम-दौंती, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर के पत्र संख्या-3477/एस०टी०-उप जिला सदर/2022, दिनांक 23.12.2022 द्वारा गैर वन भूमि क्षेत्रफल 11.46 हे० चिन्हित की गयी। जिसका अभिलेखीय एवं मौके का परीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, मड़िहान द्वारा किया गया। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित गैर भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

रेंज का नाम	ग्राम	नया गाटा	पुराना गाटा	क्षेत्रफल हे०
मड़िहान रेंज	दौंती	2063	3252	11.46
— " —	दौंती	2063	3235	
— " —	दौंती	2063	3249	
— " —	दौंती	2063	3232	
— " —	दौंती	2063	3230	
— " —	दौंती	2063	3231	
— " —	दौंती	2063	3234	
— " —	दौंती	2063	3233	
— " —	दौंती	2063	3237	
— " —	दौंती	2063	3236	
— " —	दौंती	2063	3238	
— " —	दौंती	2063	3239	
— " —	दौंती	2063	3243	
— " —	दौंती	2063	3244	
— " —	दौंती	2063	3245	
— " —	दौंती	2063	3256	
— " —	दौंती	2063	3255	
— " —	दौंती	2063	3250	
— " —	दौंती	2063	3251	
— " —	दौंती	2063	3253	
— " —	दौंती	2063	3254	
— " —	दौंती	2063	3258	
— " —	दौंती	2063	3257	
— " —	दौंती	2063	3259	
— " —	दौंती	2063	3260	
			योग —	11.46

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त गैर वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, महुआ, कठसागौन, सागौन, आँवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा, जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त गैर वन भूमि मिट्टी युक्त, विवाद रहित अतिक्रमण से मुक्त तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु योग्य है।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 मीरजापुर